राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

1- एकल पीठ सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 376/2000

अब्दुल हलीम उर्फ अलीम मोहम्मद बनाम लीलाराम व अन्य।

2- एकल पीठ सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 383/2000

श्रीमती मुन्नी बनाम लीलाराम व अन्य।

उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम 1988 विरुद्व निर्णय दिनांक 23/12/99, जो श्री रामचन्द्र जाटव, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एवं राज.राज्य सहकारी न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या 1229/97 एवं1230/97 में पारित किया गया है।

दिनांक:30.9.10

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री सज्जनसिंह कोठारी</u>

श्री के.एन. तिवाडी अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी उपस्थित।

सर्वश्री वीरेन्द्र अग्रवाल एवं सुरेश शर्मा अधिवक्तागण वास्ते बीमा कंपनी उपस्थित।

<u>न्यायालय द्वारा-</u>

1- प्रस्तुत दोनों सिविल विविध अपीलें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एवं राज.राज्य सहकारी न्यायाधिकरण, जयपुर (जिसे आगे केवल न्यायाधिकरण ही लिखा जावेगा) के निर्णय दिनांक 23/12/99 के

विरुद्व प्रस्तुत की गयी हैं।

2- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण अब्दुल हलीम एवं मुन्नी सहित 7 व्यक्तियों द्वारा जुलाई,97 में उक्त न्यायाधिकरण में भिन्न-भिन्न क्लेम आवदेन इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किये गये कि दिनांक 5/12/96 को सायंकाल ये टेम्पो संख्या आर.जे.पी. 4445 में बैठकर देवरोड से नरहर की तरफ जा रहे थे तो टेम्पो चालक विपक्षी संख्या 1 लीलाराम ने इस टेम्पो को बहुत तेज गति एवं लापरवाही से चलाया और टेम्पो पलट गया जिसके परिणामस्वरुप इस टेम्पो में बैठे प्रार्थीगण के चोटें आयीं। इन चोटों के फलस्वरुप प्रतिकर दिलाये जाने हेतु टेम्पो चालक विपक्षी संख्या 1, टेम्पो स्वामी विपक्षी संख्या 2 तथा बीमा कंपनी विपक्षी संख्या 3 जहां टेम्पो बीमित था, के विरुद्व क्लेम आवेदन प्रस्तुत किये गये। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 से कोई अनुतोष नहीं चाहते हुए, उसका नाम विलोपित करवा दिया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उत्तर पेश नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। विपक्षी संख्या 3 ने अपना उत्तर पेश कर अपने दायित्व से इन्कार किया। दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गये :-

1- आया प्रश्नगत वाहन संख्या आर.जे.पी.4445 के चालक विपक्षी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 5/12/96 को देवरोड, नरहड पुलिस थाना पिलानी पर उक्त वाहन को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरुप ताहिर, खालिदा, साबिरा, सिक्को, अब्दुल हलीम, मुन्नी व आसियां के चोटें आयीं।

2- आया उक्त वाहन चालक तब उक्त वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था।

3- आया विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी द्वारा अपने लिखित कथन की

प्रारम्भिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मददेनजर बीमा कंपनी अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, नहीं तो इसका प्रभाव।

4- आया दावेदार अपने दावों में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत राशि पा सकते हैं, हां तो कौन कौन दावेदार, कितनी कितनी राशि, किस किस विपक्षी सं एवं किस प्रकार से पा सकते हैं।

5- अनुतोष।

साक्ष्य में प्रार्थीगण ने स्वयं को परीक्षित कराया और इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से कुल 6 गवाह परीक्षित हुए तथा प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 117 प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श करायी गयी किन्तु खण्डन में विपक्षी संख्या 3 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। न्यायाधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सभी विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किये और दुर्घटना में चोटग्रस्त प्रार्थी-अपीलार्थी अब्दुल हलीम को क्षतिपूर्तिस्वरुप 75,000/- रुपये की राशि तथा प्रार्थिनी-अपीलार्थिनी मुन्नी को 40,000/- रुपये की राशि दिलायी। इस राशि को न्यून बताते हुए इस निर्णय (अवार्ड) दिनांक 23/12/99 से व्यथित होकर उक्त दोनों अपीलार्थीगण अब्दुल हलीम एवं मुन्नी द्वारा पृथक-पृथक ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं जिन्हें एक ही निर्णय के द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।

3- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का अपीलार्थी अब्दुल हलीम के संबंध में यह कथन है कि दुर्घटना में आयी चोटों के फलस्वरुप इसे दो स्थानों पर अलग-अलग कुल 11 प्रतिशत स्थायी अशक्तता कारित हुई है। अपीलार्थी के कई चोटें आयीं हैं जिनमें दो गम्भीरता लिये हुए है। इसके कारण प्रार्थी अस्पताल में भी भर्ती रहा है और उसका ऑपरेशन भी किया गया। स्थायी अशक्तता के कारण वह भविष्य में अपना कार्य करने में अक्षम हो गया है और फलस्वरुप उसकी आय में तात्विक कमी हुई है जिसके निमित्त उचित क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलायी गयी है। इसके

अतिरिक्त अन्य मदों में भी दिलायी गयी राशि अपर्याप्त है। अपीलार्थिनी मुन्नी की चोट के संबंध में भी उनका तर्क है कि दुर्घटना में अपीलार्थिनी के दो चोटें आयीं जिनमें एक गम्भीर थी और इसके फलस्वरुप 12.90 प्रतिशत स्थायी अशक्तता कारित हुई है। इस अशक्तता के कारण अपीलार्थिनी की कार्य क्षमता में स्थाई रुप से कमी आयी है जिसके फलस्वरुप आय की हानि भी होगी किन्तु इस मद में समुचित क्षतिपूर्ति नहीं दिलायी गयी है और अन्य मदों में भी दिलायी गयी क्षतिपूर्ति राशि अपर्याप्त है। अत: दोनों ही अपीलार्थीगण को दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि में समुचित वृद्वि की जावे।

4- इसके विरोध में विद्वान अभिभाषक बीमा कंपनी का यह तर्क रहा कि दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि पूरी तरह पर्याप्त है। अत: दोनों अपीलें अस्वीकृत की जावें।

5- मैनें उक्त तर्को पर विचार किया। विद्वान न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय तथा वहां प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जहां तक अपीलार्थी अब्दुल हलीम का प्रश्न है उसके चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 108 के अनुसार इसके कुल 7 चोटें आई हैं जिनमें सिर्फ दो चोटें प्रदर्श 114 एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार गम्भीरता लिये हुए है। जहां एक ओर बांये पैर मे टीबिया के निचले एक तिहाई भाग का फ्रेक्चर है, वहीं दूसरी गम्भीर चोट बांये हाथ के अग्र भाग पर रेडियस एवं अलना के लोअर एण्ड पर फ्रेक्चर है। दिनांक 6 या 7 दिसम्बर,97 को इसके कारण अपीलार्थी का ऑपरेशन हुआ और वह आगामी 6 दिन अर्थात 12/12/97 तक अस्पताल में भर्ती रहा, ऐसा प्रदर्श 107 चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र एवं उपलब्ध पत्रादि से स्पष्ट है। उक्त प्रमाण पत्र में हाथ की गम्भीर चोट के कारण अपीलार्थी को 6.89 प्रतिशत तथा पैर की चोट के कारण 4.43 प्रतिशत अशक्तता होना

दर्शित है और यह भी उल्लिखित है कि इसके कारण अपीलार्थी को प्रतिदिन के कार्य में कठिनाई रहेगी। अपीलार्थी की ओर से अपने उपचार के बिल एवं पर्चे प्रदर्श 67 लगायत 106 तथा 110 पेश किये गये जिनकी राशि का कुल योग 1800/- रुपये होता है।

6- दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 25 वर्ष थी और विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रार्थी की उक्त समस्त चोटों, इनसे उत्पन्न अशक्तता, शारीरिक कष्ट, परिवहन, वर्तमान एवं भविष्य के उपचार आदि को विचार में लेकर कुल 75,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति दिलायी है। अपीलार्थी के आई दो चोटों के निमित्त उसे 23,000/- रुपये, स्थायी अशक्तता के निमित्त 11,000/- रुपये, शारीरिक कष्ट एवं पीडा के निमित्त 11,000/- रुपये, दवाईयों पर खर्च हेतु 2000/- रुपये, उपचार के दौरान एवं इसके कुछ समय बाद की आय की क्षति के लिये 18,000/- रुपये तथा पौष्टिक आहार, अस्पताल आने जाने एवं भविष्य में इलाज खर्च हेतु 10,000/- रुपये की राशि दिलायी है। मैं इस मत का हूं कि विद्वान न्यायाधिकरण ने भविष्य की कठिनाई एवं आय की हानि को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मद में समुचित राशि अपीलार्थी को दिलाने के आदेश दिये हैं। अपीलार्थी अब्दुल ने न्यायाधिकरण में केवल मात्र स्वयं को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। किसी भी चिकित्सक को पेश कर ऐसा समक्ष नहीं लाया गया है कि आयी चोटों एवं अशक्तता के कारण अपीलार्थी को जीवन भर कठिनाई होगी एवं कार्य क्षमता में कमी आयेगी जिससे स्थायी रुप से आय अर्जित करने की क्षमता में कमी होगी। अभिलेख पर अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तर्को के समर्थन में साक्ष्य का पूर्ण अभाव है। ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप कर, अपीलार्थी अब्दुल हलीम द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7- जहां तक अपीलार्थिनी मुन्नी को दिलायी गयी क्षतिपूर्ति राशि का प्रश्न है, पत्रावली पर इसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 13 पेश हुआ है जिसके अनुसार इसके केवल दो चोटें आयी हैं जिनमें एक चोट गम्भीरता लिये हुए है। यह गम्भीर चोट बायीं कलई पर है जिसके फलस्वरुप चिकित्सक ने 12.90 प्रतिशत स्थायी अशक्तता कारित होना बताया है। इसके कारण उक्त अंग से प्रतिदिन के कार्य में कठिनाई होना भी उल्लिखित है। यह अशक्तता प्रमाण पत्र प्रदर्श 35 है। अपीलार्थिनी ने अपने उपचार के बिल एवं पर्चियां प्रदर्श 15 लगायत 34, 39 लगायत 41, 43 लगायत 61 पेश किये हैं जिनका कुल योग लगभग 700/- रुपये होता है। विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थिनी को उसके आयी गम्भीर चोट के लिये 6,000/- रुपये दिलाने के साथ साथ इस चोट से उत्पन्न हुई 13 प्रतिशत स्थायी अशक्तता के निमित्त 13,000/- रुपये की राशि दिलायी है। साथ ही इससे उत्पन्न शारीरिक कष्ट एवं वेदना हेतु 13,000/- रुपये, दवाईयों पर खर्च राशि के निमित्त 1000/- रुपये तथा आय की क्षति, अस्पताल आने जाने व ईलाज पर होने वाले अन्य खर्च एवं पौष्टिक आहार के निमित्त 7000/- रुपये की राशि, इस प्रकार कुल 40,000/- रुपये की राशि दिलायी है। अपीलार्थिनी ने अपने पक्ष के समर्थन में केवल मात्र स्वयं के बयान लेखबद्व कराये हैं और किसी भी चिकित्सक को परीक्षित कराकर ऐसा सिद्व नहीं किया गया है कि इन चोटों के कारण उसकी कार्य क्षमता में ऐसी कमी आयेगी जो उसकी आय अर्जित करने की क्षमता को विपरीत रुप से प्रभावित करेगी या सामान्य कार्य एवं गतिविधियों को ही बाधित करेगी। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि अपीलार्थिनी के तर्को के समर्थन में पत्रावली पर साक्ष्य का पूर्ण अभाव है। ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थिनी की चोटों, इससे उत्पन्न अशक्तता,

शारीरिक कष्ट, वेदना, उपचार पर हुए खर्च, परिवहन, अस्पताल, पौष्टिक आहार एवं आय की क्षति आदि सभी मदों को विचार में लेते हुए कुल 40,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि अपीलार्थिनी को दिलायी है जो किसी प्रकार भी कम या ऐसी प्रतीत नहीं होती कि इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप कर राशि में वृद्वि की जावे। कुल मिलाकर दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्वि का कोई औचित्य प्रमाणित करने में अपीलार्थिनी असफल रही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थिनी मुन्नी द्वारा प्रस्तुत यह अपील भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8- उक्त स्थिति में ऊपर किये गये विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी अब्दुल हलीम एवं अपीलार्थिनी मुन्नी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त दोनों अपीलें अस्वीकृत की जाती हैं। अपीलार्थीगण अपील का व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(सज्जनसिंह कोठारी)

न्यायाधिपति

/राम/